	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 23, मंगलवार, *शाके* 1947- मई 13, 2025 *Vaisakha 23, Tuesday, Saka 1947- May 13, 2025*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 27, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी/25/7161 :-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क) (प) एवं उप-धारा (8) के खंड (ग) स्पष्टित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका मालपुरा की वर्तमान सीमा क्षेत्र में नवीन सीमा क्षेत्र सम्मिलित किए जाने हेतु विभागीय समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 621-650 दिनांक 10.01.2025 को अतिक्रमित करते हुए नगर पालिका मालपुरा की सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से हैंः-

क्र.सं.	जिला	नगर पालिका का नाम	नगर पालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्रांम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	टोंक	मालपुरा	ग्राम पंचायत बृजलाल नगर के राजस्व ग्राम बृजलाल नगर एवं सदरपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत राजपुरा के राजस्व ग्राम हाथगी का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत सिंधोलिया राजस्व ग्राम दौराई , महाराजपुरा उर्फ तितरिया का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत रीण्डल्या बुजुर्ग के राजस्व ग्राम धानोता , कल्याणपुरा , रीण्डलया बुजुर्ग गोलीपुरा एवं पिमुण का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत टोरडी के राजस्व ग्राम अम्बापुरा मय ढाणिया का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत डूंगरीकला का राजस्व ग्राम अजमेरों की ढाणी जाजमों की ढाणी का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत चांदसेन का राजस्व ग्राम मालपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत देशमा के राजस्व ग्राम पीनणी लक्ष्मीपुरा एवं श्योपुर का सम्पूर्ण

			सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत मेहरू के राजस्व ग्राम रामेश्वरपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

इन्द्रजीत सिंह,
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।